7/2/2022	वकील फरीकेन उपस्थित। बहस वकील उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली के विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर वाद तकमील हस्ब जाब्ता दाखिल रहे।

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2022.03.09 13:01:27 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली

मु.न.
90 / 14

आर.सी.एस न0
2014 / 00129

तारीख रजू
03.12.2014

पीठासीन अधिकारीः— श्री धीरेन्द्र सिंह आर.ए.एस.

1. नरेन्द्र सिंह बैंसला पुत्र श्री शिवनारायण बैंसला जाति गुर्जर निवासी पांडे का कुंआके पास करौली तहसील व जिला करौली
2. दयाल सिंह पुत्र बनैसिंह जाति गुर्जर निवासी पहाडी तहसील व जिला करौली

सायलान

वनाम

1. अमर सिंह पुत्र स्व. दुर्गा
2. बालकृष्ण पुत्र स्व. दुर्गा
3. श्रीमती सुगनी वेवा स्व. दुर्गा
4. लक्ष्मी पुत्री स्व. दुर्गा
5. चन्द्रो पुत्री स्व. दुर्गा
6. सूरजबाई पुत्री स्व. दुर्गा
7. लालाबाई पुत्री स्व. दुर्गा
8. सम्पू पुत्र स्व. मुरली
9. गोपाल पुत्र स्व. मुरली
10. मोहरबाई पुत्री स्व. मुरली

सभी जाति मालीयान निवासीयान मासलपुर चुंगी के पास करौली तहसील व जिला करौली

11. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार करौली हाल तहसील कार्यालय करौली

गैरसायलान

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

निर्णय

दिनांक : 07.02.2022

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि सायलान ने यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का प्रस्तुत किया है कि सायलान व गैर सायलान सं. 1 ता 10 के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी ख.नं. 668 लगायत 685, ख.नं. 687,688,690,698 लगायत 709 कुल किता 33 कुल

Signature Not Verified

Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2022.03.09 13:01:27 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

रकवा 29 बीघा 01 बिस्वा वाके कस्बा करौली तहसील करौली में मासलपुर चुंगी के पास स्थित है यह आराजीयात पूर्व में गैरसायल सं. 1,2,4 के दादा गैरसायल सं. 3 के ससुर एवं गैरसायल सं. 8 लगायत 10 एवं देवुभर के पिता मुरली के खातेदारी व कब्जे काश्त की रही है और मुरली की मृत्यु के पश्चात् विरासत के आधार पर गैरसायल सं. 1 ता 10 देवुभर पुत्री मुरली को विरासत में प्राप्त हुई और मुताबिक विरासत उक्त आराजी में गैरसायल सं. 1 ता 7 को मृतक मुरली के पूर्व मृत पुत्र के पुत्र, पुत्री, विधवा होने के नाते एक अंश अर्थात्1/5 हिस्सा व गैरसायल नं. 8ता 10 प्रत्येक को मुरली के पुत्री होने के नाते 1/5, 1/5 हिस्सा देवुभर पुत्री मुरली को 1/5 हिस्सा के खातेदारी अधिकार प्राप्त हुये और जमाबंदी में इन्द्राज किये गये और सभी खातेदार उक्त आराजीयात पर संयुक्त रूप से काबिज काश्त हो गये इसके बाद देवुभर पुत्री मुरली ने उक्त आराजीयात के अपने सम्पूर्ण हिस्सा 1/5 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र सायलान को विक्रय करके उक्त भूमि पर अन्य खातेदार के साथ संयुक्त रूप से कब्जा सायलान करा दिया और विक्रय पत्र के आधार पर उक्त आराजी के हिस्सा 1/5 के खातेदारी इन्द्राज सायलान के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो गये आराजीयात का पक्षकारान के मध्य आज तक वाई मीटस एण्ड वाउण्डस बटवारा नही हुआ है समस्त आराजीयात संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त में चली आ रही है। आराजीयात के कुछ हिस्से में जंगली बबूल एवं कटीली झाडियॉ उग गई है जिन्हे शामलाती रूप से साफ कराने के लिए एवं आराजीयात की सुरक्षा दीवाल बनवाने के लिए सायलान ने दिनांक 30.11.2014 को गैरसायल नं. 1 ता 10 से कहा तो गैरसायलान ने कोई संतोषजनक जबाव नही दिया तब सायलान ने गैर सायला से कहा कि यदि तुम आराजीयात को सामलात में काश्त नही करना चाहते हो और सार संभाल नही करते हो तो हिस्सा अनुसार आराजीयात का बटवारा करा लेते है जिस पर सायलान को गैरसायलान ने ऐलानिया कहा था हम बटवारा करायें बिना ही अपनी इच्छा अनुसार भूमि में भूखण्ड बना कर दीगर लोगों को विक्रय करेंगे और तुम्हे भूमि के संयुक्त कब्जे काश्त से वंचित करके रहेंगे जिसका गैरसायलान को विधिक अधिकार नही है। यदि गैरसायलान अपने मकसद में कामयाब हो गये तो सायलान आराजी में अपने संयुक्त खातेदारी अधिकारों से वंचित हो जायेंगे जिससे सायलान को अपूर्णीय क्षति होगी अनावश्यक मुकदमें बाजी बढेगी सायलान अपने हिस्सा का बटवारा कराके अपना हिस्सा पृथक कराके उस पर वाहिद कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी है और राजस्व रिकॉर्ड में अलग से खातेदारी इन्द्राज अमल कराने के अधिकारी है और गैरसायलान को भूमि के सायलान के कब्जे काश्त [illegible] करने एवं भूमि को बिना बटवारा कराये दीगर को रहन, बयं नही करने [illegible] ता फैसला वादपत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2022.03.09 13:01:27 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के अधिकारी है। उक्त में प्रार्थना पत्र सायलान स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र सायलान दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया।

गैरसायलान नं 9 ने उपस्थित होकर जरिये वकील जबाव प्रार्थना पत्र मय काउन्टर टी आई. के पेश कर कथन किया है कि वादग्रस्त आराजीयात का कस्बा करौली तहसील करौली में स्थित है उक्त भूमि मुरली की स्वअर्जित भूमि थी जिस सम्बन्ध में मृतक मुरली को भूमि बावत् सारे अधिकार मुरली में वेस्ट करते थे मुरली के किसी वारिसान को कोई अधिकार हासिल नही थे मृतक मुरली के अपने जीवन काल मे ही उक्त आराजीयात का बटवारा दि0 26.10.1977 को अपने तीनों पुत्रो के बीच दुर्गा, सम्भू व गोपाल व स्वयं के बीच कर दिया था और बटवारा करके मृतक मुरली के तीनों लडकों को तहरीर तकमील करा ली थी तथा तीनों पुत्रों ने बटवारा करके उक्त आराजीयात अपने तीनों लडकों को सम्भलवा दिया था जिसके तहत मुरली के तीनों लडके अपने–अपने हिस्सों पर काबिज काश्त है तथा मृतक मुरली उक्त आराजीयात मे बटवारे के तहत अपनी दोनों पुत्रियों मोहरबाई व देवकुमार को कुछ नही दिया था तथा इस बटवारें में दोनों पुत्रियों की मौन स्वीकृति थी जिसके तहत दोनो पुत्रियों ने मृतक मुरली के जीवनकाल में उक्त आराजीयात में कुछ हिस्सा की मांग नही की तथा इस बटवारें के तहत गैरसायल गोपाल ने मृतक मुरली व अपने दोनों भाई दुर्गा व सम्भू के विरुद्ध एक दावा बटवारा S.D.O कोर्ट में भी किया जिनके तहत मृतक मुरली के व दुर्गा व सम्भू ने उक्त बटवारें को अपने जबाव में किया था इस प्रकार मृतक मुरली अपने जबाव दावा व बटवारें के तहत एसटोप्ड है तथा विरासत के आधार पर जो मु0 देवकुवर ने अपने नाम खातेदारी कराई है वह अवैध व शून्य एवं कानून के विपरीत है चूकि उक्त आराजीयात अगर पुश्तेनी होती तो देवकुमार को विरासत के आधार पर खातेदारी कराने का अधिकारी था वरना नही इसके साथ ही मृतक मुरली अपने जीवनकाल में ही उक्त आराजीयात का तीनो लडको के बीच बटवारा कर गया था। जिस पर आज तक हर पक्षकार अपने–अपने हिस्से पर काबिज है जिसमें सम्भू ने तो अपने कुछ हिस्से को बय कर दिया है और खरीददारो का कब्जा करा दिया है जिसके तहत खरीददारों ने भूमि मे निर्माण कार्य भी करा लिया है तथा जो सायलान ने देवकुमार से जोड उसके हिस्से की रजिस्ट्री कराई है वह भी अवैध व शून्य हैं प्रतिवादी के अधिकारो पर बेअसर है प्रतिवादी बयनामा को अवैध व शून्य कराने का अधिकारी है और वादीगण बयनामा के आधार पर उक्त आराजी[illegible] बटवारा व गैरसायल के अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द [illegible] विवादित

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2022.03.09 13:01:27 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

5

आराजीयात पर सायलान का आज तक कोई कब्जा काश्त किसी प्रकार का नही हैं। सायलान ने झूठी कहानी रच कर यह दर0 बनाई है जब सायलान का उक्त भूमि पर किसी प्रकार का कब्जा है ही नही तो दि. 30.11.2014 को बटवारा कहने की बात कहना पूर्णरूप से निराधार और गलत है तथा सायलान को बटवारा कराने का कोई अधिकार नही किसी प्रकार का नही है।सायलान को उक्त आराजीयात बावत् कोई अधिकार प्राप्त नही है सायलान के कोई अपूरणीय क्षति नही है सायलान गैरसायलान को पाबन्द कराने के हकदार नही है। ख0न0 702 ता 706 कुल किता 5 कुल रकवा 7 बीघा 11 बिस्वा का धनसिंह पुत्र श्यौफूल मीना नि. मोठियापुरा ने न्यायालय ADJ करौली में तकमील मुनायदें का दावा कर रखा है जिसका मु. नं. 10/13 है जिसमें तारीख पेशी दि. 8.5.2015 नियत है। इसलिये अब तक उक्त दावा लम्बित है सायलान भूमि का बटवारा कराने के अधिकारी नही है। धनसिंह को प्रकरण में पक्षकार बनाना आवश्यक है। देवकुमार द्वारा कराया गया बयनामा धारा 52TP act के तहत अवैध और शून्य है। गैरसायलान जरिये काउण्टर TI सायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करानें का अधिकारी है। अन्त में प्रार्थना पत्र सायलान खारिज किये जाने का व काउण्टर प्रार्थना पत्र TI स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है अन्य गैर सायलान के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही व जववा वाद किये जाने के आदेश दिये जा चुके है।

सायलान द्वारा काउण्टर TI का कोई जबाव प्रस्तुत नही किया गया।

बहस वकील सायलान व गैर सायलान प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील सायलान बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया है कि विवादित आराजीयात सायलान व गैरसायलान सं. 1 ता 10 के संयुक्त खातेदारी व कब्जेकाश्त की है जिसमें सायलन का 1/5 हिस्सा है गैरसायल सं. 1 ता 10 का 4/5 हिस्सा है संयुक्त रूप से काबिज काश्त बतौर खातेदार है। गैरसायलन सं. 1 ता 10 ने दि. 30.11.2014 को भूमि को बिना बटवारा करायें दीगर व्यक्तियों को भूखण्ड विक्रय कर सायलान को बदेखल करने की ऐलानिया का है जिससे सायलान को अपूर्णीय क्षति व भारी असुविधा है अनावश्यक मुकदमेबाजी बढेगी इसलिए ताफैसला वादपत्र गैरसायलन को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

वकील गैरसायल नं. 9 का बहस में कथन है कि विवादित आराजीयात मुरली मृतक की स्वअर्जित सम्पत्ति है। और मुरली ने अपने जीवन काल में दिनांक 26.10.1977 करे समस्त आराजीयात का अपने पुत्र गैरसायल नं. 9 गोपाल के मध्या बटवारा कर तीनो को तहरीर तकमील किया है

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2022.03.09 13:01:27 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

(5)

मोहरबाई व देवकुमार का भूमि में कोई हक हिस्सा नही रहा है बटवारा में दोनो पुत्रियों की मौन स्वीकृति रही है। मुरली के तीनों पुत्र बटवारा के समय से अपने–अपने हिस्से पर अलग–अलग काबिज काश्त है सायलान का कोई कब्जा काश्त आज दिवस तक नही है। गैरसायल नं. 9 ने मृतक मुरली व दुर्गा, सम्भू के विरूद्व एक दावा बटवारा न्यायालय हाजा में पेश किया था जिसमें मृतक मुरली ने व दुर्गा, सम्भू ने उक्त बटवारें को अपने जववा दावा में स्वीकार किया था सायलान के हक में देवकुमार द्वारा कराया गया वयनामा अवैध व शून्य है। गैरसायल के हकों पर वेअसर है। सायलन ने झूठी कहानी रच कर दावा व प्रार्थना पत्र पेश किये है। ख. न. 702 ता 706 के सम्बन्ध में धनसिंह मीना ने तकमील मुआवदा का दावा न्यायालय श्रीमान ADJ करौली में मु.नं. 10/13 प्रस्तुत कर रखा है इस दावे के निर्णय तक दावा हाजा की कार्यवाही स्थगित की जाये एवं सायलान के गैरसायल नं. 9 के 1/5 हिस्सा भूमि के कब्जे काश्त में व्यवधान नही करने को अस्थाई निषेधाज्ञा से जरिये काउण्टर TI पाबन्द किया जावे।

वहस वकील फरीकेन के मनन करने पर व पत्रावली के अवलोकन करने वादग्रस्त भूमि का मृतक मुरली की खातेदारी भूमि होना एवं मृतक मुरली के सायलान व गैरसायलान नं. 1 ता 10 व मुस्त. देवकुमार पुत्र पुत्रीया पौत्र होना साबित है। सायलान व गैरसायलान के मध्य आराजीयात के बटवारे का सदभावी विवाद है जो मूला दावा में उभयपक्षकारान की साक्ष्य के वाद दावे के अंतिम निर्णय से तय होना है जिससे प्राईमाफेसी केस व सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति उभयपक्षकारान के पक्ष में वादग्रस्त आराजीयात की मौका व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने में है। प्रार्थना पत्र सायलान व काउण्टर प्रार्थना पत्र गैरसायल नं. 9 आंशिक स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा सायलान व काउण्टर प्रार्थना पत्र गैरसायल नं. 9 आंशिक स्वीकार किये जाते है उभयपक्ष सायलान व गैरसायलान को ता फैसला वाद पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह वाद ग्रस्त आराजीयात खसरा नं. 668 लगायत 685 ख.नं. 687,688,690,698 लगायत 709 कुल किता 33 कुल रकवा 29 बीघा 01 विस्वा ग्राम कस्बा करौली तहसील करौली की मौका राजस्व रिकॉर्ड की यथा स्थिति बनाये रखें।

निर्णय आज दिनांक 7/2/2022 को न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2022.03.09 13:01:27 IST
Reason: SelfAttested

(धीरेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
करौली

Scanned with CamScanner